

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष— मंगरी देवी पति स्व0 तोतन झोरा बगैरह.....।

बनाम

वाद सं0 54 / 2020

द्वितीय पक्ष— किरण टोपो पति स्व0 सीताराम टोपो बगैरह..

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 20/3/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 30 / 2020 दिनांक 11 / 10 / 2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) मंगरी देवी उम्र 50 वर्ष पति स्व० तोतन झोरा (2) बजरंग झोरा उम्र 28 वर्ष पिता स्व० तोतन झोरा (3) गुड्डी देवी उम्र 26 वर्ष पति बजरंग झोरा (4) सोनू झोरा उम्र 25 वर्ष पिता स्व० तोतन झोरा (5) मामती देवी उम्र 50 वर्ष पति स्व० जर्नादन पानीग्राही साभ सा० बसिया पहाडटोली थाना बसिया बनाम द्वितीय पक्ष (1) किरण टोपो (2) दीपिका टोपो उम्र 30 वर्ष पिता स्व० सिताराम टोपो (3) प्रियंका टोपो उम्र 18 वर्ष पिता स्व० सिताराम टोपो (4) पायल टोपो उम्र 25 वर्ष पिता स्व० सीताराम टोपो (5) नेहा टोपो उम्र 28 वर्ष पति अमित टोपो सभी बसिया पहाडटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। अतः उभय पक्षों के बीच वाद समयवधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने वाद की समयवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 	अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।